संख्या-359/2017/111/22-2-2017-17(159)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 मई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रजेश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री रामसिंह निवासी जनपद-औरैया की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रजेश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री रामसिंह, निवासी-मनुआपुरवा, थाना-बेला, जनपद-औरैया का रहने वाला है। पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.11.2001 को अपरान्ह् लगभग 04:00 बजे बाजार मे टीन के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे तेज सिंह उर्फ डिप्टी को पकड़ लिया तथा तमन्चों एवं बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-248/02 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, औरैया द्वारा दिनांक 03-09-2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से स्वीकृत जमानत पर कारागार से बाहर हैं।। बन्दी द्वारा दिनांक 23-05-2016 तक 14 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 04 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी की अपील निस्तारित होने पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 10.11.2001 को पूर्व से चली आ रही रंजिश में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे एवं बंदूक से गोली मारकर तेज सिंह उर्फ डिप्टी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ब्रजेश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री रामसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ब्रजेश उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-25213) पुत्र श्री रामसिंह निवासी जनपद-औरैया के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-359/2017/111(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-359/2017/111/22-2-2017-17(159)/2012

दिनांक 24 मई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रजेश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री रामसिंह, निवासी-मनुआपुरवा, थाना-बेला, जनपद-औरैया का रहने वाला है। पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.11.2001 को अपरान्ह् लगभग 04:00 बजे बाजार मे टीन के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे तेज सिंह उर्फ डिप्टी को पकड़ लिया तथा तमन्चों एवं बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-248/02 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, औरैया द्वारा दिनांक 03-09-2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से स्वीकृत जमानत पर कारागार से बाहर हैं।। बन्दी द्वारा दिनांक 23-05-2016 तक 14 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 04 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी की अपील निस्तारित होने पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 10.11.2001 को पूर्व से चली आ रही रंजिश में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे एवं बंदूक से गोली मारकर तेज सिंह उर्फ डिप्टी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ब्रजेश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री रामसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in